

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 534] No. 534] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 27, 2017/आ"४<+ 6, 1939 NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 27, 2017/ASADHA 6, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2017

सा.का.नि. 643(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कितपय प्रारूप नियम मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 402(अ), तारीख 21 अप्रैल, 2017 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 21 अप्रैल, 2017 में प्रकाशित किये गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना थी, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में प्रकाशित रूप में उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, सात दिन की समाप्ति का पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को 21 अप्रैल, 2017 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेप और सुझाव जनता से प्राप्त नहीं किये गए थे;

अत:, अब केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (दसवां संशोधन) नियम, 2017 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में, नियम 118 में, उप-नियम (1) के पहले परंतुक के, खंड (iv) का लोप किया जाएगा।
- 1. (1) इन नियमो का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (दसवां संशोधन) नियम, 2017 है ।
 - (2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

3942 GI/2017 (1)

- 2. केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989, में
- (i) 115 (ख) तत्पश्चात उप-नियम (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित के रूप में, उपनियम (1) के पश्चात निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-
- "(2) जब द्रवित प्राकृतिक गैस को ईंधन के रूप में उपयोग किया जायेगा तो उप नियम (1) के तहत सामूहिक उत्सर्जन मानक जो सीएनजी समर्पित वाहनों के मूल उपकरण पर लागू हैं, वो जीवीडब्ल्यू> 3.5 टी वाले मूल उपकरण निर्मित्त वाहन पर लागू होंगे।
- (3). उत्सर्जन में लागू होने वाले द्रवीकृत प्राकृतिक गैस संरचना उन ईंधन विनिर्देशों के अनुसार होना चाहिए, जैसा कि यथास्थिति पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार या भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा, समय-समय पर मोटर वाहन आवेदन के लिए विनिर्देशों द्वारा अधिसूचित किया गया है:

परन्तु ऐसे समय तक द्रवित प्राकृतिक गैस ईंधन, उपाबंध 4 - एलए में अपेक्षाओं का पालन करते हुए, प्रकार के अनुमोदन और उत्पादन की अनुरूपता के प्रयोजन के लिए किया जाएगा।

- 4. मूल उपकरण जी.वी.डब्लू. वाले वाहन समर्पित विनिर्मित्त द्रवित प्राकृतिक गैस जिसमे जी.वी.डब्लू. > 3.5 टी है, वह एआईएस -024 और एआईएस -028, समय-समय पर संशोधित में, निर्धारित सुरक्षा अपेक्षाओं को पूरा करेगा। ",
- (ii) नियम 115 के उप-नियम (1) में,

पैरा ड. में, "सीएनजी" अक्षरों के स्थान पर, अक्षर और शब्द "सीएनजी / बायो-सीएनजी / एलएनजी" रखा जाएगा;

पैरा च के, टिप्पण में, क्रम संख्या 3 के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

'3(क) "एलएनजी समर्पित वाहन से अभिप्रेत है वह वाहन जो उनके रजिस्ट्रीकरण से पहले, विनिर्माताओं द्वारा एलएनजी संचालन के लिए निर्मित किए जाते हैं,"

उपाबंध 9 के स्थान पर, निम्नलिखित उपाबंध रखा जाएगा, अर्थात् :-

उपाबंध 9

(नियम 115 ख की मद ई देखें)

आंतरिक दहन इंजन वाले वाहनों में सीएनजी/ जैव सीएनजी / एलएनजी ईंधन के उपयोग के लिए सुरक्षा जांच (एआईएस -028 के अनुसार) और भारतीय गैस सिलेंडर नियम (समय-समय पर संशोधित)

क्र. सं.	सीएनजी / जैव सीएनजी / एलएनजी किट घटक	प्रमाणीकरण / सत्यापन प्राधिकारी	एआईएस -028 / अन्य खंड, नियम, मानक आदि
1.		पीईएसओ, नागपुर के मामले में विदेशों के निर्माण से प्रमाणित करने या पृष्ठांकन करने के लिए	गैस सिलेंडर नियम 2004,पीईएसओ द्वारा अनुमोदित अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं
1.1	वाहन पर सिलेंडर का निर्धारण फिटमेंट	एआईएस -028 के अनुसार, सत्यापित करने के लिए परीक्षण अभिकरण	एआईएस - 028 की धारा 2.3, 2.5 और 2.6

2.	सीएनजी / एलएनजी (बंद	पीईएसओ, नागपुर को विदेशो से प्रमाणित करने या पृष्ठांकन करने के लिए	(सीएनजी वाल्व्स के लिए) पीईएसओ द्वारा
	्राल्व) सिलेंडर		अनुमोदित गैस सिलेंडर
	वाल्व		नियम 2004 या
			अंतर्राष्ट्रीय मानक
3.	नियामक	आईएस 15713 या आईएसओ -15500 के अनुसार, परीक्षण	आईएस: 15713 या
	(सीएनजी) / विनियमित और	अभिकरण द्वारा घटक का परीक्षण । वैकल्पिक रूप से, परीक्षण	आईएसओ -15500
	विनियमित और	अभिकरण, प्रमाणित परीक्षण प्रयोगशाला प्रत्यायित द्वारा जारी	
	एक्सचेंजर	मानक के अनुसार, परीक्षण प्रमाण पत्र या रिपोर्ट की पुष्टि को प्रमाणित करने के लिए।	
	(एलएनजी) *	एलएनजी नियामक और वाष्पीकरणकर्ता/ गर्मी एक्सचेंजर ईसीई	ईसीई आर110 या
		आर110 या समतुल्य मानक की अपेक्षाओं को पूरा करेगा	समतुल्य मानक
4	गैस एयर मिक्सर	आईएस 15713 या आईएसओ -15500 के अनुसार, परीक्षण	आई एस: 15714 या
		अभिकरण द्वारा घटक का परीक्षण । वैकल्पिक रूप से, परीक्षण	आईएसओ -15500
		अभिकरण, प्रमाणित परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा जारी मानक के	
		अनुसार, परीक्षण प्रमाण पत्र या रिपोर्ट की पुष्टि को प्रमाणित करने के लिए।	
5.	गैस इंजेक्टर	आईएस -15500 के अनुसार, परीक्षण अभिकरण द्वारा घटक का	आईएसओ -15500
		परीक्षण । वैकल्पिक रूप से, परीक्षण अभिकरण, प्रमाणित परीक्षण	
		प्रयोगशाला प्रत्यायित द्वारा जारी मानक के अनुसार, परीक्षण	
		प्रमाण पत्र या रिपोर्ट की पुष्टि को प्रमाणित करने के लिए।	
6	पेट्रोल सोलनॉइड वाल्व*	परीक्षण अभिकरण द्वारा आई एस: 15717 के अनुसार घटक का	आई एस: 15717
	पाल्प	परीक्षण करना। वैकल्पिक रूप से, परीक्षण अभिकरण को प्रमाणित	
		परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा प्रत्यायित जारी मानक के अनुसार परीक्षण प्रमाण पत्र या रिपोर्ट की पुष्टि करने के लिए	
6.1	गैस सोलेनोइड	आईएस के अनुसार घटक का परीक्षण: 15712 या परीक्षण	आईएस: 15712या
	वाल्व*	अभिकरण द्वारा आईएसओ -15500। वैकल्पिक रूप से, परीक्षण	आईएसओ -15500
		अभिकरण को प्रमाणित परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा प्रत्यायित जारी मानक के अनुसार परीक्षण प्रमाण पत्र या रिपोर्ट की पृष्टि करने के लिए।	
		एलएनजी प्रणाली का स्वचालित वाल्व ईसीईआर110 या	एलएनजी प्रणाली का
		समतुल्य मानक की अपेक्षाओं को पूरा करेगा	स्वचालित वाल्व
			ईसीईआर110 या
			समतुल्य मानक की अपेक्षाओं को पूरा करेगा
7.	सीएनजी /	एआईएस -028 के अनुसार, परीक्षण अभिकरण द्वारा वाहन पर	एआईएस -028 के
	एलएन्जी	संस्थापन की जानी चाहिए।	2.2.2, 2.2.3, 2.2.4,
	प्रत्यारोपण के लिए कनेक्शन		2.2.5 और 2.2.6 के
	भरना (एनजेडएस		खंड
	1,3,4,3,4		

	और एनजीवी-1		
	प्रकार)		
8.	संवातन	सत्यापित करने के लिए परीक्षण अभिकरण	एआईएस -028 के खंड
			2.4.2
9.	नाली का परीक्षण*	घटक का परीक्षण या प्रमाण पत्र का सत्यापन या आई एस:	आई एस: 15715
		15715 के अनुसार, परीक्षण अभिकरण द्वारा परीक्षण रिपोर्ट।	
10.	सीएनजी / जैव सीए	- नजी / एलएनजी ईंधन लाइन	
10.1	उच्च दबाव 100 केर्प	ोएसे अधिक	
10.1.1	2.15 एमपीए से अ	धेक	
	कठोर पाइप	घटक का परीक्षण या प्रमाण पत्र का सत्यापन या आई एस:	आईएस:15716
		15716 के अनुसार, परीक्षण अभिकरण द्वारा परीक्षण रिपोर्ट।	
		एलएनजी कठोर पाइपलाइन ईसीईआर 110 या समतुल्य मानक	 इसीएसआर 110 या
		की अपेक्षाओं को पूरा करेगा।	समतुल्य मानक
	नमनीय नली	घटक का परीक्षण या प्रमाण पत्र का सत्यापन या आई एस:	आई एस: 15718
		15718 के अनुसार, परीक्षण अभिकरण द्वारा परीक्षण रिपोर्ट।	
		 एलएनजी पाइपलाइन ईसीई आर110 या समतुल्य मानक की	 ईसीई आर110 या
		अपेक्षाओं को पूरा करेगा।	समतुल्य मानक
10.1.2	2.15 एमपीए तक	घटक का परीक्षण या प्रमाणपत्र का सत्यापन या आई एस:	आई एस:15722
	दबाव	15722 के अनुसार, परीक्षण अभिकरण द्वारा परीक्षण रिपोर्ट।	संशोधन के साथ
		ईसीई आर 110 या समतुल्य मानक एलएनजी पाइपलाइन ईसीई	ईसीई आर110 या
		आर110 या समतुल्य मानक की अपेक्षाओं को पूरा करेगा।	समतुल्य मानक
10.2	जोड़ और संपर्क	परीक्षण अभिकरण द्वारा परीक्षण	एआई एस-028 के खंड
			3.2.1(ख)
		एलएनजी जोड़ और संपर्क को ईसीई आर110 या समतुल्य मानक	को ईसीई आर 110 या
		की अपेक्षाओं को पूरा करेगा।	समतुल्य मानक
11	डिब्बे या उप	घटक का परीक्षण, परीक्षण अभिकरण द्वारा प्रमाण पत्र का	आई एस: 15720
	डिब्बे	सत्यापन या परीक्षण रिपोर्ट, आईएस 15720 के अनुसार है:	
12	विर्निदिष्ट	(क)निम्न विर्निदिष्ट घटक, जैसा की लागू है, ईसीईआर110 या	ईसीईआर 110 या
	एलएनजी घटक	अन्य समतुल्य मानक की अपेक्षाओं को पूरा करेगा	समतुल्य मानक
		(ख)इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण इकाई, दबाव और / या तापमान सेंसर	
		(यदि एलएनजी सिलेंडर का भाग नहीं है)	
13.	सीएनजी / जैव	एआईएस -028 के अनुसार, परीक्षण अभिकरण द्वारा किए जाने	एआईएस -028 की
	सीएनजी /	वाले सुरक्षा जांच	सुसंगत के खंडो में
	एलएनजी प्रणाली की संस्थापन के		
	लिए सुरक्षा जांच		

*मूल देश की मान्यता प्रत्यायित प्राप्त परीक्षण अभिकरण द्वारा जारी प्रमाण पत्र या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा जारी एक रिपोर्ट भी स्वीकार किया जा सकता है।

टिप्पण 1 - केवल मानकों, समय-समय पर संशोधित, जैसा कि ऊपर निदिष्ट है, अनुपालन के लिए भेजा जाएगा।

टिप्पण 2 - एलएएनजी प्रणाली वाष्पीकरण / ऊष्मा एक्सचेंजर को काम करने वाले घटको को सीएनजी घटकों के रूप में माना जाएगा।

टिप्पण 3 - परीक्षण अभिकरण को वाणिज्यिक उपलब्ध एलएनजी ईंधन के साथ लागू होने वाले सीएमवीआर परीक्षण करना है, करने के लिए ।"

(iv) उपाबंध 4-ठ के पश्चात, निम्नलिखित उपाबंध रखा जाएगा, अर्थात:-

"उपाबंध 4-ठक"

(नियम 115 ख़ के उप-नियम (3) के परन्तुक को देखें)

संदर्भ एलएनजी ईंधन की तकनीकी विनिर्देश

क्रमांक	घटक	सांद्र
1	मीथेन%	87.33-99.71
2.	ईथेन%	0.09-10.26
3.	प्रोपेन%	0.03-3.56
4.	ब्यूटेन%	0.148
5.	सल्फर	<10 पीपीएम
6.	एलएनजी घनत्व किलोग्राम / एम 3	421.39-467.35
7.	विस्तार अनुपात एम 3 (एन) / एम 3 लिक	558-600.0
8	गैस जीसीवी एमजे / एम 3 (एन)	39.91-46.24
9.	वोबी सूचकांक एमजे / एम 3 (एन)	53.51-56.77".

[फा. सं. आरटी-11028/15/2016-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.िन. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं.सा.का.िन. 485(अ), तारीख 19.05.2017 को संशोधित किए गए।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 2017

G.S.R. 643(E).—Whereas, the draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, was published as required by sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) *vide* notifications of Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 402(E), dated the 21st April, 2017, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected therby, within a period of seven days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

AND whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 21st April, 2017;

And whereas, no objections and suggestions were received from the public in respect of the said draft rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely: -

- 1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (10th Amendment) Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Central Motor Vehicle Rules, 1989, -
 - (i) rule 115B shall be renumbered as sub-rule (1) thereof and after sub-rule (1) as so renumbered, the following shall be inserted, namely: -
 - "(2)The mass emission standards applicable to Original Equipment CNG Dedicated Vehicles under sub-rule (1) shall be applicable to Original Equipment manufactured vehicle having GVW \geq 3.5 T, when Liquified Natural Gas is used as fuel.
 - (3)The Liquified Natural Gas composition used for carrying out emission shall meet the fuel specification as notified by the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, or Bureau of Indian Standard, as the case may be, for automotive application from time to time:

Provided that till such time the Liqiufied Natural Gas fuel complying to the requirements as provided in Annexure IV- LA shall be used for the purpose of type approval and conformity of production.

- (4) The Original Equipment manufactued Liquified Natural Gas dedicated vehicle having GVW ≥3.5 T shall meet the safety requirements as laid down in AIS-024 and AIS- 028 as amended from time to time.";
- (ii) in rule 115B, in sub-rule (1),-
 - (a) in para E, for the letters "CNG", the letters and word "CNG/bio-CNG/ LNG" shall be substituted;
 - (b) in para F, in the Note, after serial number 3, the following serial number shall be inserted, namely: -
 - '3(a) "O.E. LNG Dedicated Vehicle" means the vehicles which are manufactured for LNG operation by the vehicle manufacturers prior to their first registration;";
- (iii) for Annexure IX, the following Annexure shall be substituted, namely: -

"Annexure IX

(see para E of rule 115B)

SAFETY CHECKS FOR USE OF CNG / BIO-CNG/LNG FUELS IN INTERNAL COMBUSTION ENGINED VEHICLES (AS PER AIS-028) and

INDIAN GAS CYLINDER RULES

(as amended from time to time)

Sr. No.	CNG / BIO-	Certifying /Verifying Authority	Clause of AIS-028 / Other	
	CNG/LNG Kit		Rules and Standards	
	Component			
1	CNG / BIO-	PESO, Nagpur to certify or endorse in case of	Gas cylinder rules 2004 or	
	CNG/LNG	foreign make	International standards as	
	Cylinder*		endorsed by PESO	
1.1	Fitment of cylinder	Test agency to verify as per AIS-028	Clause no. 2.3, 2.5 and 2.6 of	
	on vehicle		AIS-028	
2	CNG/LNG (Shut	PESO, Nagpur to certify or endorse in case of	IS: 3224(for CNG valves) or	
	off valve) Cylinder	foreign make	Gas cylinder rules 2004 or	
	valves*		International standards as	
			endorsed by PESO	

3	Regulator (CNG) /	Testing of the component as per IS: 15713or ISO-15500 by test agency. Alternatively, test agency to verify the test certificate or report conforming to the above standard issued by accredited testing	IS: 15713 or ISO-15500	
	Regulator and Vaporiser/heat exchanger (LNG)*	LNG regulator and Vaporiser/heat exchanger shall meet requirements of ECE R110 or equivalent	ECE R110 or equivalent standard	
4	Gas-Air Mixer*	Testing of the component as per IS:15714 or ISO-15500 by test agency. Alternatively, test agency to verify the test certificate or report conforming to the above standard issued by accredited testing laboratory.	IS: 15714 or ISO-15500	
5	Gas Injector*	Testing of the component as per ISO-15500 by test agency. Alternatively, test agency to verify the test certificate or report conforming to the above standard issued by accredited testing laboratory.	ISO-15500	
6	Petrol Solenoid Valve*	Testing of the component as per IS: 15717 by test agency. Alternatively, test agency to verify the test certificate or report conforming to the above standard issued by accredited testing laboratory.	IS: 15717	
6.1	Gas Solenoid Valve*	Testing of the component as per IS: 15712 or ISO-15500 by test agency. Alternatively, test agency to verify the test certificate or report conforming to the above standard issued by accredited testing laboratory.	IS: 15712 or ISO-15500	
		Automatic valve of LNG System shall meet requirements of ECE R110 or equivalent standard	Automatic Valve for LNG System : ECE R110 or equivalent standard	
7	Filling Connection (NZS & NGV-1 type) for CNG / LNG receptacle	Installation on vehicle to be checked by test agency as per AIS-028	Clauses 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 and 2.2.6 of AIS-028	
8	Ventilation	Test agency to verify.	Clause 2.4.2 of AIS-028	
9	Testing of Conduit*	Testing of the component or verification of certificate or test report as per IS: 15715by test agency.	IS: 15715	
10	CNG / BIO-CNG/LN			
10.1	High pressure — exc	eeding 100 kPa*		
10.1.1	Exceeding 2.15 MPa			
	- Rigid pipe	Testing of the component or verification of certificate or test report as per IS: 15716 by test agency.	IS: 15716	
		LNG rigid pipeline shall meet requirements of ECE R110 or equivalent standard	ECE R 110 or equivalent standard	
	- Flexible hose	Testing of the component or verification of certificate or test report as per IS 15718 by test agency.	IS 15718	
		LNG pipeline shall meet requirements of ECE R110 or equivalent standard	ECE R110 or equivalent standard	
10.1.2	Pressure upto 2.15 Mpa	Testing of the component or verification of certificate or test report as per IS: 15722 by test agency.	IS: 15722 with amendments	
		LNG pipeline shall meet requirements of ECE R110 or equivalent standard	ECE R110 or equivalent standard	

10.2	Joints and connections*	Testing by test agency.	Clause 3.1.4.1, 3.2.1 (b) of AIS-028
		LNG joints & connection shall meet requirements of ECE R110 or equivalent standard.	ECE R110 or equivalent standard
11	Compartment or Sub-compartment*	Testing of the component or verification of certificate or test report as per IS: 15720by test agency.	IS: 15720
12	Specific LNG components	 (a) Following specific components, as applicable shall meet requirements of ECE R 110 or other International standards (b) Electronic Control Unit, Pressure and/or temperature sensor (if not part of LNG cylinder) 	ECE R 110 or equivalent standard
13	Safety check for installation of CNG / BIO-CNG/LNG system	Safety checks to be carried out by test agency as per AIS-028.	Relevant clauses of AIS-028

^{*} Certificate issued by accredited testing agency of the country of origin or a report issued by internationally accredited test laboratory may also be accepted.

- Note 1 -Only the standards, as amended from time to time, as mentioned above, shall be referred for compliance.
- Note 2 -LNG system Components downstream of Vaporiser or heat exchanger shall be considered as CNG components.
- Note 3 Test agency to conduct applicable CMVR test as applicable with commercial available LNG fuel.";
- (iv) after Annexure IV- L, the following Annexure shall be inserted, namely: -

"Annexure IV-LA

(see the proviso to sub-rule (3) of rule 115B)

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE REFERENCE LNG FUEL

Sr. No	Component	Concentration
1.	Methane %	87.33-99.71
2.	Ethane %	0.09-10.26
3.	Propane %	0.03-3.56
4.	Butane + %	0-1.48
5.	Sulphur	<10 ppm
6.	LNG Density kg/m3	421.39-467.35
7.	Expansion ratio m3(n)/m3 liq	558-600.0
8.	Gas GCV MJ/m3(n)	39.91-46.24
9.	Wobbe Index MJ/m3(n)	53.51-56.77".

[F. No. RT- 11028/15/2016-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* notification number G.S.R 485(E), dated 19.05.2017.